

कर्मकः—एफ-7(4)अकाद/अकाशि/ऑनलाईन इंडक्शन/ओरियंटेशन/2023/00923/पार्ट-2/

—आदेशः—

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत निम्न आचार्यों/सह/सहायक आचार्यों/व्याख्याताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऑनलाईन/ऑफलाईन इंडक्शन/ओरियंटेशन कोर्स करने हेतु अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम/पदनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.)	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	संस्थान जहां से कोर्स किया जाना है
01	भगवेन्द्र प्रकाश सहायक आचार्य	प्राणी शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, सोजत सिटी	इंडक्शन/ओरियंटेशन	02.01.2025 से 28.01.2025	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा
02	महेन्द्र सिंह रावत, सहायक आचार्य	समाजशास्त्र	वीर नारायण परमार राजकीय महाविद्यालय, सिवाना, बालोतरा	इंडक्शन/ओरियंटेशन	02.01.2025 से 29.01.2025	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा
03	जगदीश प्रसाद, सहायक आचार्य	भूगोल	राजकीय महाविद्यालय, बीदासर	इंडक्शन/ओरियंटेशन	02.01.2025 से 28.01.2025	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा
04	गुमान सिंह मीणा, सहायक आचार्य	संस्कृत	राजकीय महाविद्यालय, बाडी, धौलपुर	इंडक्शन/ओरियंटेशन	02.01.2025 से 28.01.2025	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा
05	नरेन्द्र कुमार, सहायक आचार्य	अर्थशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा	इंडक्शन/ओरियंटेशन	02.01.2025 से 30.01.2025	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर
06	लवीना टांडेल, सहायक आचार्य	ABST	राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, कोटा	इंडक्शन/ओरियंटेशन	02.01.2025 से 30.01.2025	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर
07	आमोद कुमार शर्मा, सहायक आचार्य	संस्कृत	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विराटनगर	इंडक्शन/ओरियंटेशन	02.01.2025 से 30.01.2025	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर
08	नरपत राम, सहायक आचार्य	संस्कृत	हाडा रानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सलुम्बर	इंडक्शन/ओरियंटेशन	02.01.2025 से 30.01.2025	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर

Signature valid



Digitally signed by Vija Singh Jat
Designation: Joint Director
Date: 2024.12.30 21:27:09 IST
Reason: Approved

इन्हें विभाग द्वारा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक, अकादमिक

प्रतिलिपि :-

1. सम्बन्धित प्राचार्य निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :-
(अ) प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
(ब) संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैण्ड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
2. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक, अकादमिक

Signature valid

Digitally signed by Vija Singh Jat
Designation: Joint Director
Date: 2024.12.30 21:27:09 IST
Reason: Approved